

अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2021 (RCMS 2021/38) (RTI-418598935765798) श्री भूपेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र महावीर प्रसाद स्वामी C/O गर्वित मेडिकल स्टोर सेठ रामदयाल राठी सी. सै. स्कूल के सामने सूरतगढ़ पिन-335804 बनाम अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर



02.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार स्वामी उपस्थित नहीं है। है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 से 12 बिन्दुओं की सूचना अति. कार्यकारी अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर स्वयं के प्रकरण में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. दिनांक 08.12.16 को RTET-2012 उर्तीण पैराटीचर को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोजन करने या नियुक्त बाबत दिये गये अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
2. दिनांक 16.06.18 को प्रबोधक पद पर साक्षात्कार लेकर नियुक्ति देने बाबत प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन पर की कार्यवाही/जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



3. दिनांक 18.06.18 को RTET-2012 उर्तीण के आधार पर प्रबोधक पद पर नियुक्त बाबत, प्रबोधक भर्ती-2008 के संशोधित नियम के अनुसार जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
4. दिनांक 12.07.18 को प्रबोधक भर्ती-2008 के संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं. 10841/09 के निर्णय की पालना प्रबोधक पद हेतु साक्षात्कार लेकर नियुक्ति देने बाबत जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
5. दिनांक 16.08.18 को प्रबोधक भर्ती के लिए साक्षात्कार लेकर नियुक्ति देने के संबध में मेरे प्रकरण के लिए, लिये गये निर्णय से अवगत करवाने बाबत दिये प्रार्थना पत्र पर जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।(CEO साहब महोदया के कहने पर कामरा जी को दिया व रजिस्टर डाक से भी भेजा)
6. दिनांक 24.09.18 को प्रबोधक भर्ती के संबध में मेरे प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत करवाने बाबत प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
7. दिनांक 17.12.18 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं. 10841/09 की अनुपालना में की गई कार्यवाही से अवगत करवाने प्रेषित प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।

8. दिनांक 01.11.19 को प्रार्थी को तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला अध्यापक पद पर नियुक्ति बाबत प्रेषित प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
9. दिनांक 27.12.19 को प्रार्थी भूपेन्द्र कुमार स्वामी के प्रकरण का कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार निस्तारण कर तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला में नियुक्ति बाबत दिये प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन पर की गई कार्यवाही। जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये। (CEO साहब नहीं मिले, कामरा जी को दिया।)
10. दिनांक 07.08.2020 को प्रार्थी भूपेन्द्र कुमार स्वामी के साथ नियुक्ति में किये गये भेदभाव की जांच कर नियुक्ति बाबत कार्यवाही करने बाबत दिये/प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही। जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
11. प्रबोधक भर्ती-2008 के लिए प्रबोधक पद पर माह अगस्त 2018 में नियुक्तियां देने से पूर्व गठित कमेटी के गठन हेतु जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।
12. प्रबोधक भर्ती 2008 के लिए प्रबोधक पद पर माह अगस्त 2018 में नियुक्तियां देने से पूर्व गठित कमेटी के गठन हेतु जारी आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/आरटीआई/2020-21/1076 दिनांक 31.03.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री महावीर प्रसाद स्वामी गर्वित मैडिकल स्टोर, सेठ रामदयाल राठी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर ने श्रीमान जी के कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिकार अन्तर्गत दिनांक 01.02.21 को प्रथम अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस कार्यालय में प्रस्तुत सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 का कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 24.11.2020 पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही उसी रोज द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र माननीय राज्य सूचना आयोग में भी इस कार्यालय के विरुद्ध दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत कर चुका है जिसमें कार्यालय स्तर से अपीलोत्तर भी प्रेषित किया जा चुका है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय ना लेने के अगले दिन ही अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील माननीय आयोग में प्रस्तुत कर देने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमानजी कृप्या प्रकरण को निस्तारित करने का श्रम करे।

-sd-

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् श्रीगंगानगर

जिला क्लैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के पत्र का सम्बन्ध जिला शिक्षा अधिकारी से होने के कारण अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/भर्ती/381 दिनांक 27.11.2021 से प्रार्थी का पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को निम्नानुसार लिखते हुए हस्तांतरित किया है और **पत्र की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई है:**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री महावीर प्रसाद स्वामी C/o गर्वित मैडीकल स्टोर, सेठ रामदयाल राठी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 1 से 12 बिन्दुओं की सूचना चाही है।

प्रार्थी द्वारा चाही सूचना पैराटीचर/प्रबोधक भर्ती से संबंधित होने के कारण 1 से 11 बिन्दु आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण अधिनियम के प्रावधानानुसार धारा 6(3) में प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में हस्तांतरित करते हुए लेख है कि नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

-sd-

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

क्रमांक : जिपग/भर्ती/382

दिनांक : 27.11.2021

प्रतिलिपि :

1. श्री भूपेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री महावीर प्रसाद स्वामी C/o गर्वित मैडीकल स्टोर, सेठ रामदयाल राठी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आपके प्रार्थना पत्र पर 1 से 11 बिन्दुओं की सूचना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। बिन्दु 12 की सूचना साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 11 का सम्बन्ध जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर से होने के कारण अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/भर्ती/381 दिनांक 27.11.2021 से उन्हें हस्तांतरित किया है और बिन्दु संख्या 12 की सूचना अपने पत्रांक जिपग/भर्ती/382 दिनांक 27.11.2021 से अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए बिन्दु संख्या 1 से 11 की सूचना के लिए प्रार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जाफ़िर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर